



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8222 वर्ष 2026

सत्येंद्र यादव

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राहुल मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. प्रारंभ में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जमानत आवेदन के प्रार्थना खंड में अनजाने में पुलिस स्टेशन का नाम 'कोतवाली' के स्थान पर 'बकेवार' लिख दिया गया है और वे इसे सुधारने की अनुमति चाहते हैं। इस संबंध में एक पूरक हलफनामा आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की बात सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक **सत्येंद्र यादव** की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 407/2025 में धारा 87 और 137(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

5. संक्षेप में, एफआईआर में दर्ज आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदक और सह-आरोपियों ने शिकायतकर्ता की लगभग 17 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण किया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने एफआईआर में आरोपित किसी भी अपराध को नहीं किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से आरोपी-आवेदक के साथ गई थी। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक ने किसी भी बुरे इरादे से शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर या अपहरण नहीं किया है। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 28.01.2026 से जेल में है। निवेदन यह है कि मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उम्मीदवार की निर्दोषता का फैसला मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

8. इस बात पर विचार करने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक का नाम एफआईआर में दो अन्य सह-आरोपियों, शैलेंद्र और शिवकांति के साथ दर्ज है, जो अभियुक्त-आवेदक के सगे भाई और माता हैं, लेकिन लगभग 17 वर्षीय पीड़िता के धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में उसने अभियोजन पक्ष के बयान का स्पष्ट और विशिष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है और उसने कहा है कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त-आवेदक के साथ गई थी। विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जांच अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आरोपपत्र पहले ही अग्रेषित किया जा चुका है। आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 28.01.2026 से जेल में है। मुकदमे के निष्कर्ष को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) लॉ सूट 677 मामले में पैराग्राफ संख्या 53, संघ ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे के निष्कर्ष को देखते हुए। (2022) 10 एससीसी 51** और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को निरर्थक और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानत राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की सुनवाई शुरू होने पर, (ii) आरोप तय होने पर और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करने पर, जिसमें वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करे।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

18 मार्च, 2026

अंकित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”